## कार्यालय मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ–2/कनि0अभि0 (नियुक्ति)स्था–2/17/5603 दिनांकः–24/10/17

### कार्यालय आदेश

1. राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जारी विज्ञापन क्रमांक 01/2016 दिनांक 09.06.2016 को प्रसारित विज्ञप्ति के अन्तर्गत राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी सेवा (सिंचाई शाखा) नियम 1967 के नियम संख्या 20 के तहत निम्नलिखित अभ्यर्थी को नियम 26 के अन्तर्गत **कनिष्ठ अभियंता सिविल (डिग्री)** के पद पर निम्नानुसार **गैर–अनुसूचित क्षैत्र** में कनिष्ठ अभियंता के रिक्त पद पर दो वर्ष की परीवीक्षाकाल अवधि पूर्णतया अस्थाई रूप से नियुक्ति दी जाती है।

| क्र.सं. | रोल नम्बर | अभ्यर्थी का नाम | वर्ग | जन्म दिनांक | लिंग | पदस्थापन स्थान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301819 | सुश्री आरजू मोदी | सामान्य | 23.6.95 | स्त्री | जल संसाधन(उत्तर) उपखण्ड श्रीगंगानगर (जल संसाधन, उत्तर खण्ड श्रीगंगानगर) कनिष्ठ अभियंता के रिक्त पद पर |

2. परीवीक्षाकालीन अवधि में वित्त विभाग के आदेश कमांक एफ.14(1) एफ.डी./रूल्स/2013 पार्ट दिनांक 08.06.15 के अन्तर्गत दो वर्ष की अवधि तक इन्हें रूपये 13,200/–प्रतिमाह की दर से भुगतान देय होगा।
3. परीवीक्षाकालीन अवधि की सेवायें संतोषप्रद पाए जाने पर इन्हें रनिंग पे–बैण्ड–2–रूपये 9300–34800 Grade Pay of Rs. 3600/-प्रतिमाह एवं उन पर अन्य भत्ते देय होंगे।
4. (I) उक्त अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे संबधित पदस्थापन स्थान पर उपस्थित होकर उपस्थित रिपोर्ट के साथ फोटो आई.डी की फाटो प्रति. दो उत्तरदायी व्यक्तियों से जो अभ्यर्थी के रिश्तेदार न हो के चरित्र प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, जाति, शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता, आयु,विधवा, परित्यक्ता स्त्री, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाडी आदि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की छाया प्रति संम्बन्धित अधिकारी को प्रस्तुत करने होगें।

   (II) अभ्यर्थी को संम्बन्धित कार्यालय अध्यक्ष को प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पुलिस सत्यापन प्रस्तुत कर कार्यभार ग्रहण करना होगा।
5. नियुक्ति निम्न शर्तो के तहत होगीः–

   I उक्त नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी तौर पर होगी जो एक माह के नोटिस पर किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

   II नियुक्तियॉ सेवा नियमों में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अन्तर्गत जारी शर्तो के तहत निर्धारित होगी।

   III उक्त अभ्यर्थी पर राजस्थान सिविल सेवाये (अंशदायी पेंशन) नियम 2005 लागू होगें।

   IV नियुक्ति अभ्यर्थी आदेश जारी होने के 30 दिवस की अवधि में अपनी उपस्थिति

पदस्थापित स्थान पर नही देगा, तो उपरोक्त नियुक्ति आदेश निरस्त माने जायेगें।

V विवाहित अभ्यर्थी को विवाह प्रमाण पत्र एव दहेज नही लेने सम्बन्धित प्रमाण पत्र एवं जीवित संतान की सूचना उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

6. अभ्यर्थी को भारत के संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा की शपथ निहित प्रारूप में लेनी होगी।

7. यदि आप विवाहित हो तोः– क्या आपके एक से अधिक पत्नियॉ है ? स्त्री उम्मीदवार के लिये क्या आपने ऐसे पति से विवाह किया है जिसके एक से अधिक पत्नियॉ जीवित है, आपको इस संबध में शपथ पत्र देना होगा।

(असीम मार्कण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
जल संसाधन विभाग
राजस्थान,जयपुर

क्रमांक एफ–2/कनि0अभि0 (नियुक्ति)स्था–2/17/5604-14 दिनांकः– 24/10/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय जल संसाधन मंत्री राजस्थान,जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव जल संसाधन विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य अभियंता, जल संसाधन उत्तर हनुमानगढ
5. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत, श्रीगंगानगर/..........
6. उप निदेशक (आई टी) जल संसाधन विभाग, जेएलएन मार्ग,सिंचाई भवन, जयपुर को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।
7. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन उत्तर खण्ड, श्रीगंगानगर
8. सहायक अभियंता, जल संसाधन उत्तर उपखण्ड श्रीगंगानगर
9. संबंधित पुलिस अधीक्षक,..........
10. सुश्री आरजू मोदी,..........
11. रक्षा पत्रावली

(अनिल कुमार अस्थाना)
अधीक्षण अभियन्ता (प्रशासन)
कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन
राजस्थान, जयपुर